तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
10.4.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री नारायण राम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी–विश्नोई की ढाणी, बाफली, पोस्ट देवडा, तहसील– चितलवाना, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकता एवं मालिक, फर्म श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, वेराविलपुर, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही को नोटिस की तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 25.1.2022 को दौरानें गश्त फर्म श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, बेराविलपुर, पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोई से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-1625 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./332/Act/2022/318 दिनांक 15.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, किन्तु प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 25.1. 2022 को दौराने गश्त समय 02.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्रीजी होटल, एन.एच. 62, वेराविलपुर, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोाई पुत्र श्री नारायण राम विश्नोई, निवासी– विश्नोई की ढाणी, बाफली, पोस्ट– देवडा, तहसील– चितलवाना, जिला–जालोर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ दही बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच 62, वेराविलपुर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ दही के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुर[illegible]क अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा [illegible] करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित [illegible] बॉय, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अशोक कुमार विश्नोई को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट के अन्दर एक डीपफ्रिज में स्टील के भिगोनें में रखे हुए खाद्य पदार्थ दही लगभग 5 किलोग्राम में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ दही को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 48/– (अक्षरे रुपये अडतालीस मात्र) विक्रेता अशोक कुमार विश्नोई को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1625, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ दही आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनेद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा दही को इन चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 16–16 बूंदे डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद कर प्रत्येक शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1625 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 27.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्याल[illegible] अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर [illegible] करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन न[illegible] लिफाफा अभिहित अधिका[illegible] अधिकारी, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सिरोही) को दिनांक 25.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, वेराविलपुर, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता अशोक कुमार विश्नोई से खाद्य पदार्थ दही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ दही के नमूना संख्या S-1625 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./332/ Act/2023/318 दिनांक 15.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-1625 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री नारायण राम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– विश्नोई की ढाणी, बाफली, पोस्ट देवडा, तहसील– चितलवाना, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन. एच. 62, वेराविलपुर, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री नारायण राम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– विश्नोई की ढाणी, बाफली, पोस्ट– देवडा, तहसील– चितलवाना, जिला– जालोर, खाद्य कारोंबारकर्ता एवं मालिक, श्रीजी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, वेराविलपुर, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000 / – (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अशोक कुमार विश्नोई को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft [illegible] सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय [illegible] कारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही [illegible]। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.5.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested